बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना
हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सौजन्य से सैन्डीस कम्पाउन्ड, भागलपुर में **23–30 अक्टूबर, 2021** तक मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंजूषा महोत्सव के अवसर पर हस्तशिल्प एवं हैण्डलूम के उत्कृष्ट नमूनों की बिक्री एवं प्रर्दशनी के लिए 50 स्टॉल निःशुल्क आवंटित किया जायेगा। आवंटन में मंजूषा कला के शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित स्टॉल धारकों को आवासीय व्यवस्था/मार्ग व्यय एवं भोजनादि हेतु 3000.00 (तीन हजार रू0) मात्र एक मुश्त राशि दी जायेगी।

राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों से निःशुल्क स्टॉल आवंटन के लिए आवेदन पत्र विहित–प्रपत्र में दिनांक 08.10.2021 तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना–800013 हाथों–हाथ, ई–मेल **uminstitute@gmail.com** अथवा डाक के माध्यम से आमंत्रित है।

विहित–प्रपत्र

फोटो चिपकाएं

1. शिल्पी/बुनकर का नाम (साफ अक्षरों में) : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. फोन/मोबाईल नं0 : .... ई–मेल :....................
5. आधार नं0:.................... पैन कार्ड नं0 :....................
6. बैंक का नाम : ...., Bank A/c no.: ....
   शाखा का नाम : ...., IFS Code : ....
7. स्थायी पता : ....
   ....
8. पत्राचार पता : ....
   ....
9. संबंधित शिल्प में कार्य का अनुभव : ....वर्ष....................माह
10. विगत तीन वर्षों का बिहार/बिहार से बाहर राजकीय मेला/प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने का अनुभव (प्रमाण– पत्र सहित) : ....
11. शिल्पी पहचान पत्र (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत) की छायाप्रति या संबंधित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत EM-II निबंधन या अन्य किसी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें : ....
12. यदि राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार या अन्य कोई पुरस्कार विजेता हो तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें : ....

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं तिथि)

नोट :
1. स्टॉल का आवंटन चयन समिति द्वारा किया जायेगा एवं समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. चयनित शिल्पियों को स्टॉल आवंटन की सूचना दूरभाष द्वारा दी जायेगी। शिल्पी पहचान–पत्र/आधार/पैन कार्ड/पासबुक की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। मोबाईल नं0 अथवा दूरभाष नं0 का विहित प्रपत्र में उल्लेख अवश्य करें।
3. प्रस्तावित आयोजन के स्थान और तिथि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।
4. किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

Sinha 20/9/2021
निदेशक
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

20.09.21

Praveen/ Desktop/ Nivida 98